



क्रमांक:निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.3(2)/व0अ0/2020/25627-31 दिनांक: 16/8/2021

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी (नॉन टीएसपी) विषय के दिनांक 27.01.2021 को घोषित परीक्षा परिणाम में सफल 39 अभ्यर्थियों की अभिस्तावना आयोग के पत्र क्रमांक एफ 6(2) परीक्षा-ग/व0अ0/संस्कृत शिक्षा/ 2017-18/अभिस्तावना/2842 दिनांक 04.02.2021 द्वारा प्राप्त हुई थी। आयोग से उपर्युक्तानुसार प्राप्त अभिस्तावना के आधार पर विभागीय आदेश क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/प.3(2)/व0अ0/2020/6817-6892 दिनांक 24.02.2021 द्वारा 39 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये थे।

आयोग के पत्र दिनांक 29.07.2021 द्वारा (मान.राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में दायर एस बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4975/2021 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2021 (In the meanwhile, any appointments on the basis of merit list dated 27.01.2021 shall be subject to the decision of this case.) की पालना में) निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये है-“ आयोग द्वारा दिनांक 27.01.2021 को जारी परिणाम के तहत अभिस्तावित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का आवश्यक रूप से उल्लेख करें कि ये नियुक्तियां उक्त याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगी।” अतः विभागीय आदेश दिनांक 24.02.2021 द्वारा वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी (नॉन टीएसपी) पदों पर दी गई नियुक्तियां उक्त याचिका (एस बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4975/2021 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2021) के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।


(डॉ० दीरघराम रामस्नेही)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित संकुल प्रभारी।
4. संबंधित अभ्यर्थी।
5. श्री महबूब खान को भेजकर लेख है कि आपका चयन भी आयोग द्वारा दिनांक 27.01.2021 को जारी परीक्षा परिणाम द्वारा मुख्य परिणाम से प्रतीक्षा सूची में परिवर्तित किया गया है। अतः आपकी नियुक्ति भी उपर्युक्तानुसार उक्त याचिका के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।
6. संरक्षण पंजिका।


निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।